राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(ठोस अपशिष्ठ)नियम / डीएलबी / 19 / 26213 जयपुर, दिनांक : 12/4/19

अधिसूचना

राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (e), (f), (zf) एवं (zg) के उपखण्ड (ix) के अंतर्गत उपविधियां विरचित नहीं की गई हैं यतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सपठित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप–धारा (4), धारा 339 और 340 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम / परिषद / पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, जनहित में राज्य सरकार एतद् द्वारा नगरपालिका क्षेत्रो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–** (i) ये उपविधियां राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ, 2019 कहलायेगी।

(ii) ये उपविधियाँ राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **लागू होना :–** ये उपविधियां राज्य की समस्त नगर निगम / परिषद / पालिका के सम्पूर्ण मास्टर प्लान सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगी।

3. **परिभाषाएँ :–** (1) इन उप–विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो,–

(i). **"वातजीवी कम्पोस्टीकरण"(Aerobic Composting)** से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रकिया अभिप्रेत है।

(ii). **"एजेन्सी / एजेन्ट"(Agency/Agent)** से कोई व्यक्ति / फर्म जो नगर निगम / परिषद / पालिका द्वारा आधिकृत की जाकर निकाय के कर्तव्यों को निर्वहन जैसे स्ट्रीट स्वीपीग, कचरे का संग्रहण व यूजरचार्जज / फाइन का संग्रहण करने हेतु अधिकृत की गई हो।

(iii). **"अवायुजीवी उपचारण" (Anaerobic digestion)** से आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है,

(iv). **"प्राधिकार" (Authorisation)** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी प्रसुविधा के प्रचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है,

(v). **"जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट" (Bio- degradable waste)** से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(vi). **"जैविक मिथेनीकरण"** (Bio- methanation) से ऐसी प्रकिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी किया द्वारा कार्बनिक पदार्थ को इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है;

(vii). **"ब्रांडस्वामी "** (Brand owner) से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विकय करता है।

(viii). **"मध्यवर्ती परिक्षेत्र "** (Buffer zone) से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों और अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा निपटान तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;

(ix). **"भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक"** (bulk waste generation) से अभिप्रेत है और इसके अतर्गत औसतन 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनसे केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपकमों, राज्य सरकार के विभागों या उपकमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावाओं, होटलों वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों ओर खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी है;

(x). **"ज्वलनशील अपशिष्ट "**(Combustible waste) से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोडकर गैर–जैव अवकमणीय, गैर–पुनर्चक्रणीय, गैर–पुनःउपभोज्य, गैर–परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रत है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से न्युनतम कैलोरिफिक मान हो;

(xi). **"इक्ठठा करना"**(Collection) से नगरीय ठोस अपशिष्ठ को क्लेक्शन हेतु निर्धारित स्थलो से / अन्यस्थलो से इक्ठठा करना / उठाना;

(xii). **"स्त्रोत पर इक्ठठा करना"**(Collection at Source) से नगरीय ठोस अपशिष्ठ का स्त्रोत (घर–मकान–सोसायटी–टाउनशीट) से इक्ठठा करना (point to point collection)

(xiii). **"कम्पोस्टीकरण"**(Composting) से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रकिया अभिप्रेत है;

(xiv). **"कन्शट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट"**(Construction and Demolition waste) से निमार्ण सामग्री का अपशिष्ट, डेव्रीज व डिमोलिशन से निकाला मलवा इत्यादि।

(xv). **"ठेकेदार"** (Contractor) से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है।

(xvi). **"डिलिवरी"** (Delivery) से नगरीय निकाय अथवा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अपशिष्ट देना।

(xvii). **"सह प्रसंस्करण "**(Co-processing) से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रकियाओं में जीवाश्म ईधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनुपूरित, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्त्रोंत के रूप में 1500 किलो

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

कैलोरी से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर–जैव अवक्रमणीय और गैर–पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;

(xviii). **"विकेंद्रित प्रसंस्करण "(De-centralized processing)** से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्त्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पडे;

(xix). **"निपटान" (Disposal)** से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदुषण तथा पुशओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण के उपरांत अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत है;

(xx). **"घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" (Domestic hazarduos waste)** से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, टयूब लाईटें अवधि समाप्त औषधियों, टूटे हुई पारा वाले थर्मामीटर प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइया, तथा सिरिज और संदूषित पट्टियां आदि अभिप्रेत है;

(xxi). **"द्वार–द्वार संग्रहण"(Door to door collection)** से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरो से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवासीय सोसायटी, द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;

(xxii). **"द्वार–द्वार संग्रहण हेतु साधन / वाहन"(Equipment/Vehicle for Door to door collection of municipal solid waste)** से ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत साधन / वाहन जैसे कन्टेनराइर्ड व्हील वेरो, कन्टेन्राईडड साईकिल रिक्शा, औटो रिक्शा, औटो टिपर।(गिले एवं सुखे करचे को अलग–अलग इक्ठठा करने हेतु)

(xxiii). **"शुष्क अपशिष्ट" (Dry waste)** से जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा–करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चकणीय अपशिष्ट दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी है;

(xxiv). **"क्षेपण स्थल "(Dump sites)** से जिसका स्वास्थ्यकर भूमिभरण के लिए सिद्धांतो को पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई कोई भूमि अभिप्रेत है;

(xxv). **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"(Extended producer responsibility)** से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच ओर कॉरूगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत है।

(xxvi). **"सुविधा"(Facilily)** से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रकियांए अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चकण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(xxvii). **"जुर्माना "(Fine)** से इन नियमों तथा/अथवा उप–विधियों निर्देशों के अनुपालन के लिए उपविधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रचालकों और निपटान सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माना अभिप्रेत है;

(xxviii). **"प्ररूप"(Form)** से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(xxix). **"प्रहस्तन"(Handling)** के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथ्ककरण, सामग्री की पुनःप्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गटठा बनाना, दलन, लदाई, उतराई परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी कियाकलाप भी है;

(xxx). **"निष्क्रिय" (Inerts)** से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचकणीय या दाहा नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद भी है;

(xxxi). **" भस्मीकरण"(Incineration)** से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रकिया अभिप्रेत है;

(xxxii). **"अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक" (Informal waste collector)** के अंतर्गत व्यष्टि, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विकय और खरीद से अंतर्वलित है;

(xxxiii). **"निक्षालितक" (leachate)** से ऐसा द्रव अभिप्रेत हे जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व है;

(xxxiv). **"सामग्री पुनप्राप्ति सुविधा (एमआरएफ)" (Material recovery facility)** से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित कोई अन्य अस्तित्व या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित अस्तित्व द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले अनौपचारिक पुनर्चकणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारित सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण,छंटाई या पुनर्चकण योग्य की पुनप्राप्ति की प्रसुविधा है;

(xxxv). **"अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट" (Non-bio degradable waste)** से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;

(xxxvi). **"सुविधा का प्रचालक" (Operator of a facility)** से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी हे या प्रचालित करता है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;

(xxxvii). **"प्राथमिक संग्रहण" (Primary collection)** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्त्रोत जिसके अंतर्गत घर, दुकाने, कार्यालय ओर कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिंदु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विर्निदिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(xxxviii). **"प्रसंस्करण"(Processing)** से कोई वैज्ञानिक प्रकिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग पुनः चकित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

(xxxix). **"पुनर्चकण" (Recycling)** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों को उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रकिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नही किया जा सकेगा;

(xl). **"पुनर्विकास" (Redevelopment)** से जहां विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्णशीर्ण हो गई है वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुननिर्माण अभिप्रेत है;

(xli). **"कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)" (Refuse Derived Fuel)** से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट,क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाह्रा अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन ईंधन अभिप्रेत है;

(xlii). **" अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" (Residual solid waste)** से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जो पुनर्चकण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;

(xliii). रोयल्टी (**Royalty**) – से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रोयल्टी राशि जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा/भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के ग्राही या प्रचालक द्वारा सबन्धित निकाय को दी जाएगी।

(xliv). **"स्वास्थ्यकर भूमिभरण"(Sanitary Land filling)** से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अतिंम और सुरक्षित निपटान और भूजल सतही जल या क्षणभंगुर वायु धूल,हवा से जुडा हुआ कूहाकरकट दुर्गंध अग्नि परिसंकट पशुओं का खतरा पक्षियों को खतरा नाशकजीव, कृंतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(xlv). **"स्वास्थ्यकर अपशिष्ट"** (Sanitary waste) से प्रयोग किए गए डायपर , स्वास्थ्यकार तौलिए या नैपकिन टैम्पोन, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(xlvi). **"अनुसूची" (Schedule)** से ठोस अपशिष्ठ प्रबधंन नियम–2016 की उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xlvii). **"गौण भंडारण" (Secondary Storage)** से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गोण भंडारण डिपों या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;

(xlviii). **"पृथककरण" (Segregation)** से ठोस अपशिष्ट के विभित्र संघटको अर्थात जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनः चकणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनः चकणयोग्य बाह्रा योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चकण योग्य कूड़ाकरकट

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिमार्ण और विध्वंस अपशिष्ट भी है की छंटाई ओर पृथक भंडारण अभिप्रेत है;

(xlix). **"सेवा प्रदाता"** **(Service provider)** से जल मलवहन विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत है;

(l). **"ठोस अपशिष्ट"(Solid waste)** से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अतंर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थनिक अपशिष्ट खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर–आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औधोगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई अपशिष्ट बैटरी अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है;

(li). **"छंटाई करना"** **(Sorting)** से मिश्रित अपशिष्ट पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटनों और प्रवर्गो जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है;

(lii). **"स्थिरीकरण"(Stabilising)** से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरूचिकर सुगंध उत्पन नहीं करता है और कृषि भूमि, भू–कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है;

(liii). **"मार्गविक्रेता"(Street vendor)** से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खंडजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सावर्जनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, सौदा खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फेरीवाला पैकार आबादकर तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिष्ट क्षेत्र में हो सकते है, भी है और विक्रय शब्दों को उनके व्याकराणक रूप भेदों ओर सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा।

(liv). **"टिपिग फीस"** **(Tipping Fee)** से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य अभिकरण द्वारा कोई फीस या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अवधारित संदात्त है।

(lv). **"अंतरण स्थल"** **(Transfer station)** से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है;

(lvi). **"परिवहन"(Transportation)** से ठासे अपशिष्ट चाहे वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए परिवहन अभिप्रेत है;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(lvii). **"उपचार"(Treatment)** से किसी अपशिष्ट के भौतिक रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;

(lviii). **"उपयोक्ता फीस" (User fee)** से ठोस अपशिष्ट संग्रहण परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या अंशिक लागत को प्राप्ति करने में अपशिष्ट जनित पर स्थानीय निकाय और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के नियम 2 में वर्णित किसी संस्था द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;

(lix). **"कृमि कम्पोस्ट बनाना"(vermi composting)** से केचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में सपरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(lx). **"अपशिष्ट जनित्र"(Waste generator)** से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय स्थापनाए भी है, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते है, अभिप्रेत है;

(lxi). **"अपशिष्ट की कमबद्धता" (Waste hierarchy)** से ऐसा प्राथमिकता कम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण कटौती, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण,पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता ओर भू–भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;

(lxii). **"अपशिष्ट चुनने वाला" (Waste pickers)** से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन से

(lxiii). स्त्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विकय के लिए गलियों, डिब्बों प्रंसस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए है;

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम 1986, जल (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 वायु (जल प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनयम, 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होगे जो संबंधित अधिनियमों व नियमों में है।

4. विभागों के कर्तव्यः–**(i) स्वायत्त शासन विभागः–** स्थानीय निकायो के आयुक्त / अधिषाशी अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेगे;

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबधंन के सबंध में पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य नीति लागू कराई जाएगी;

(ख) सभी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबधंन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश देना;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(ग) सभी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 तथा उपविधियों के कियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(घ) राज्य और स्थानीय निकायों की नगर नियोजन शाखा (Town Planning cell) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके 5 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करने हेतु निकायों को निर्देशित करना;

(ड.) लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 कि.मी. (या अधिक) की दूरी के अन्तर्गत आने वाले शहरों के समूह के साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिकरण (Common Regional Sanitary land fill) की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिभकरणों के वृत्तिक प्रबधन हेतु निकायों को निर्देशित करना;

(च) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण (Capacity building) तथा स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंसकरण की व्यवस्था करना;

(छ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापारियों के पंजीकरण के संबंध में नगरीय निकयों को निर्देशित करना।

(ii) नगरीय विकास विभाग (नगर नियोजन विभाग).–

(क) नगर नियोजन विभाग मास्टर प्लान (भू–उपयोग मानचित्र) में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करेगा। स्थानीय निकायों की नगर नियोजन शाखा (Town Planning cell) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान कर जिला कलेक्टर से आवंटन सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु संबन्धित नगरीय निकाय भूमि का विवरण, क्षेत्रफल व स्थल चिन्हित कर विवरण नगर नियोजन कार्यालय को उपलब्ध करवागी।

(ख) शहरी योजना विभाग (Town Planning) यह सुनिश्चित करेगा, कि 200 से अधिक आवास वाले या 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या अन्य गैर–आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जावे।

(ग) नगर नियोजन विभाग (Town Planning) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबधंन 2016 के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी व एकीकृत भवन विनियम में आवश्यक प्रावधानों की सुनिश्चिता की जावेगी।

(iii) उधोग विभाग.– ओधोगिक क्षेत्रो में विशेष आर्थिक जोन (Special Economic Zone), औद्योगिक संपदा (Industrial Estate), औद्योगिक पार्क (Industrial Park) के विकासकों को निर्देश देना कि प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत प्लॉट या शैड वसूली या पुनर्चकण सुविधा के लिए आरक्षित करें।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण .– (i) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

पर ही पृथक–पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सडकों, मार्गो पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूडा–करकट नहीं फैंले अन्यथा केरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा;

(ii) नगरीय निकाय द्वारा समय–समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनिटेशन वेलफेयर, ऐसासियेशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा;

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों को भण्डारण :– राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने स्तर पर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :–

(i). निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं हागी। भण्डारण सुविधा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्त पहुंच सकें;

(ii). नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूडा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूडादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें;

(iii). नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा निर्धारित कूडादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक–पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते है –

(A) हरा – जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(B) सफेद – पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(C) नीला/काला – अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूडे/अपशिष्टों को खाली करने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाईन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेगें।

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(iv). शहर में स्थित सभी कॉपरेटिव सोसाईटिज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली–भांति भण्डारण हो सकें। जिन्हें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीय निकाय को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगें;

(v). नगर निगम/परिषद्/पालिका अन्य व्यवस्था (बीओटी/वीजीएफ) की व्यवस्था भी की जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थानों को नगरीय निकायों द्वारा अनुमोदित यूजर चार्जेज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केरींग चार्जेज मौके पर तत्काल वसूल किया जावेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vi). बूचडखानों, मांस–मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है। प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा, ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिशिचित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगरीय निकायो द्वारा डोर टू डोर ऐसे अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जावेगें अथवा न्यायलय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vii). जैव चिकित्सकीय, अपशिष्टों तथा औधोगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐस अपशिष्टों का संग्रहण जैच चिकित्सकीय ईकाइयों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स के प्रावधानों के अनुरूप किया जाकर इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रोसेसिंग किया जावेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा (CBWTF) पर देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित करना होगा। चिकित्सा विभाग एवं राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जावेगी।

(viii). **पालतु जानवरों द्वारा गन्दगी**.– पालतु जानवरों द्वारा रोड़/सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी (Poop /litter/faecal matter) को पालतु जानवरों के मालिकों द्वारा निपटान करना होगा ऐसा नहीं करने पर जुर्माना/केरिंग चार्ज वसूला जावेंगा;

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(ix). कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड पानी नाईट सोईल गोबर, मलमूल, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गो पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज़ वसूल किया जावेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा;

(x). कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गंन्दगी फैलाते हुऐ पाया जाता है तो दण्डनीय उपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा;

7. **नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण** – नगरीय निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों या कूडा करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गो, निजी खुले स्थलों, पार्को, पानी के स्त्रोंतो इत्यादि पर गन्दगी कूडा–करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगरीय निकाय के **द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का** नहीं हो, संलग्न **"अनुसूची–अ"** में घोषित/समय–समय पर नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित, उपयोग राशि (User Charges) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने के लिए सक्षम होगा। घरो/व्यवसायिक युनिटों को जारी रसीद मात्र फाइन/जुर्माना/उपयोग राशि (User Charges) वसुली का दस्तावेज है इसका अन्यत्र उपयोग नही होगा

नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु :–

(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना मे घर–घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "निगम/परिषद/पालिका के सभी क्षेत्रो/एरिया/वार्डो में समुचित संसाधन लगाकर सुनिश्चित की जावेंगी अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहन में गीले एवं सुखे कचरे हेतु अलग–अलग कम्पाटमेन्ट होगें जिनमें घरों में रखे घरे डिब्बे का गीला कचरा तथा नीले डिब्बे का सूखा कचरा पृथक्–पृथक् इक्कट्ठा कर परिवहन किया जावेंगा। किसी भी स्थिति में गीले एवं सूखे कचरे को मिश्रित होने से रोकना होगा;

(ii) घर–घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता उपकरण /वाहन पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियो को सूचित किया जा सके;

(iii) व्यावसायिक क्षेत्रो मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो/दुकानो से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(iv) घर–घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर–घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार उपयोग राशि (User Charges) निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह		
		नगर निगम क्षेत्र / प्रतिमाह	नगर परिषद क्षेत्र / प्रतिमाह	नगरपालिका क्षेत्र / प्रतिमाह
1.	50 वर्गमीटर क्षेत्र. तक के मकान	20 / – रूपये	15 / –रूपये	10 / –रूपये
2	50 व.मी. से अधिक व 300 क्षेत्र. व.मी. तक के मकान	80 / – रूपये	50 / –रूपये	40 / –रूपये
3.	300 व.मी. से अधिक क्षेत्र. के मकान	150 / – रूपये	100 / –रूपये	50 / –रूपये
4.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा / मिठाई की दुकान / कॉफी हाउस इत्यादि)	250 / –रूपये	200 / –रूपये	150 / –रूपये
5.	गेस्ट हाउस,	750 / –रूपये	500 / –रूपये	250 / –रूपये
6.	छात्रावास (Hostal) सरकारी	500 / –रूपये	400 / – रूपये	250 / – रूपये
7.	छात्रावास (Hostal) निजी	1000 / –रूपये	750 / – रूपये	500 / – रूपये
8.	रेस्टोरेन्ट (Unstar)	750 / –रूपये	500 / – रूपये	300 / – रूपये
9.	होटल रेस्टोरेन्ट (Unstar)	1000 / –रूपये	750 / – रूपये	500 / – रूपये
10.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star तक)	1500 / –रूपये	1000 / – रूपये	800 / – रूपये
11.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star से अधिक)	3000 / –रूपये	2000 / – रूपये	1500 / – रूपये
12.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, निजी के अलावा कोचिंग क्लासेंस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	700 / – रूपये	500 / – रूपये	250 / – रूपये
13.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान (सरकारी) इत्यादि	700 / – रूपये	500 / – रूपये	250 / – रूपये
14.	निजी शैक्षणिक संस्थान	1000 / – रूपये	750 / – रूपये	500 / – रूपये
15.	निजी कोचिंग संस्थान	5000 / – रूपये	3000 / – रूपये	2000 / – रूपये

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

16.	निजी कोचिंग क्लासेंस,	1000 / — रूपये	750 / — रूपये	500 / — रूपये
17.	क्लीनिक	1000 / — रूपये	750 / — रूपये	500 / — रूपये
18.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड तक)	2000 / — रूपये	1500 / — रूपये	1000 / — रूपये
19.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड से अधिक)	4000 / — रूपये	3000 / — रूपये	2500 / — रूपये
20.	लघु व कुटीर उद्योग वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ठ 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	750 / — रूपये	500 / — रूपये	400 / — रूपये
21.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गेर खतरनाक) अवशिष्ठ	1500 / — रूपये	1000 / — रूपये	800 / — रूपये
22.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक	2000 / — रूपये	1500 / — रूपये	1000 / — रूपये
23.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	5000 / — रूपये	4000 / — रूपये	3000 / - रूपये
24.	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नही हैं।	नगरीय निकाय के आकलन के अनुसार		

राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर उक्त दरों में वृद्धि कर सकेगी।

(v) घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड / क्षेत्र की अधिकृत संस्था / व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरो का संस्था / व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार–प्रसाद किया जावेगा एवं दरो को पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था / व्यक्ति को उपकरणों / वाहनों पर संस्था / व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा। उपकरणों / वाहनों में जी.पी.एस सिस्टम लगाना होगा जिसके द्वारा की गई कार्य की मॉनिटरिंग की जावेंगी;

(vi) संस्था / व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम / परिषद / पालिका के अधिकृत अधिकारी / प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(vii) होटल / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपडी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों / बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सब्सटेन्स के उदगम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा।

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(viii) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान मे रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जा सकेगी।

(ix) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा सडको/मार्गो इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये लीटरविन्स, कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐस पाये जाने पर मौके पर ही केरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा।

(x) नगरीय निकाय कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सडको पर पडा नहीं रहे।

8. **नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन.**– अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन (कवर्ड व्हीकल) ऊपर से भली–भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गो पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(i) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूडा–कचरा साफ किया जायेगा। कूडादान के साथ–साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार–बार की जाने वाली उठाई धराई से बचा जा सकें।

9. **नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण.**– नगरीय निकाय द्वारा नगर निगम/ परिषद् /पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनिको/नयी तकनिकी को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की अनुसूची II के अनुसार किया जावेंगा;

सूखे कचरे को पृथक्–पृथक् करने का स्थान/मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी का स्थान चिन्हित कर वहां पर शॉरटिंग स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर सैड इत्यादि का निर्माण कर रेगपिक्र्स/प्राधिकृत रिसाईक्लर्स/अन्य एजेंसी के माध्यम से पृथक् कर रिसाईक्लेबल एवं अन्य कचरे को अलग–अलग करवाकर रिसाईकल नही होने वाले कचरे को डिस्पॉजल साईट पर तथा सूखे कचरे को सीमेन्ट प्लान्ट को आरडीएफ पॉलिसी के अनुसार एमओयू कर दिया जावेंगा तथा रिसाक्लीग कचरे को रेगपिक्र्स/प्राधिकृत रिसाईक्लर्स/अन्य एजेंसी को निति निर्धारित कर बाईबेक (Buyback) की व्यवस्था की जा सकती है ;

10.**नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन** :– भूमिभरण में जैव अनिम्नोकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्वधित रखा जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसस्करण पूर्व छोडे गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक नगर निगम/परिषद्/पालिका अपने लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कर सकेगा। लेण्डफिल साईट का डिजाईन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम की अनुसूची I के अनुसार करना होगा। नगर निगम/परिषद/पालिका को लेण्डफिल साईट पर जाने वाले कचरे का प्रत्येक माह का रिकॉर्ड रखना होगा तथा यह सूचना निगम निकाय के वेबसाईट/कार्यालय में उपलब्ध रहेगी;

11. **औचक निरीक्षण** : निगम/परिषद्/पालिका अधिकृत अधिकारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अपनाई जा रही कार्य प्रणाली का औचक निरीक्षण कर सकेंगा। नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही प्रस्तावित की जावेंगी;

12. **अभियोजन/शास्तियां** :– नगरीय निकाय के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की उपविधियां, 2019 के उपरोक्त किसी भी उपविधि की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत् अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमो के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियम उपनियम समिति ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अपनी अनुशंषा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा जिन्होने कैरिंग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लापरवाही बरती हो।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (zf) के अन्तर्गत अनुसूची–"अ" में निर्धारित जुर्माना मौके पर वसूल कर सकेगा।

13. **निरसन और व्यावृतियाः–**

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् जयपुर नगर निगम के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियॉ, 2005, नगरीय निकाय के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियां 2015 तथा इस संबंध में अन्य नगर निगम/परिषद/पालिका में इसी प्रकार की इस विषय से संबंधित किसी भी नाम से प्रवृत उपविधियॉ इसके द्वारा निरस्त की जाती है।

(2) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में प्रवृत उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नही समझा जायेगा। वशर्त की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।

(3) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गई किसी शक्ति, समपरव या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नही करेगा।

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

अनुसूची – अ''

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए निम्नांकित निर्धारित मौके पर जुर्माना वसूली योग्य

क्र. सं.	कृत्य	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1.	रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड/गली में कचरा फैलाने (Littering) पर	100 रूपये प्रतिदिन।	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेन्ट मालिकों खुला कचरा डालने	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
7.	सार्वजनिक स्थानों/रोड/गली में गंदगी (Littering) करने पर			
	(i) थूकने पर	200 रूपये एक बार	100 रूपये एक बार	50 रूपये एक बार
	(ii) खुले में नहाने पर	300 रूपये एक बार	100 रूपये एक बार	50 रूपये एक बार
	(iii) खुले में पेशाब करने पर	200 रूपये एक बार	100 रूपये एक बार	50 रूपये एक बार
	(iv) खुले में शौच करने पर	500 रूपये एक बार	200 रूपये एक बार	100 रूपये एक बार
	(v) गोबर डालने पर	5000 रूपये एक बार	2500 रूपये एक बार	1500 रूपये एक बार
8.	कचरे के पृथक्कीकरण (segregation) भण्डारण (storage) delivery एवं इक्कठा (Collection) करने में उल्लघन पर			
	(i) घरो द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
	(ii) बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	300 रूपये प्रतिदिन
	(iii) बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उनके परिसर में उपचारित (Treatment/self composting) नही किये जाने पर	5000 रु प्रतिदिन	3000 रु प्रतिदिन	2000 रु प्रतिदिन
	(iv) बायो डिग्रेडेबल कचरे को पृथक से नहीं देने पर	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
	(v) 100 व्यक्तियो से अधिक का आयोजन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथक कर अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नही	3000 रूपये प्रति आयोजन	2000 रूपये प्रति आयोजन	1000 रूपये प्रति आयोजन

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

	सोपने पर			
	(vi) सुखे कचरे को पृथक से नही देने पर	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
	(vii) गार्डन वेस्ट/पेडों की छटाई के वेस्ट को नहीं देने पर	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
	(vi) कचरा जलाने पर	500 रूपये प्रतिदिन	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन
	(viii) दुकान दारो Vendor/hawker को बिना कचरापात्र के पाये जाने पर	750 रूपये प्रतिदिन	300 रूपये प्रतिदिन	150 रूपये प्रतिदिन
	(ix) दुकान दारो Vendor/hawker को पृथक कर नहीं देने पर	750 रूपये प्रतिदिन	300 रूपये प्रतिदिन	150 रूपये प्रतिदिन
	(x) पालतू जानवरो के मालिकों द्वारा पालतु जानवरों से कचरा फेलाने व खुले में शौच कराने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	300 रूपये प्रतिदिन
9.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
10.	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सडकों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
11.	सरकारी भवनो, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2000 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
12.	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	5000 रूपये प्रतिफिट	2500 रूपये प्रतिफिट	1500 रूपये प्रतिफिट
13.	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
14.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	2500 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन
15.	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाईयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र गीला एवं सूखा कचरे को अलग–अलग कीले हेतु आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	2000 रूपये प्रतिदिन	1500 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
16.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिटटी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	750 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

17.	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हडिडयां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	4000 रूपये प्रतिदिन	3000 रूपये प्रतिदिन	2000 रूपये प्रतिदिन
18.	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊंट, गधा, घोडे, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	3000 रूपये प्रतिदिन	2000 रूपये प्रतिदिन
19.	विवाह स्थलों द्वारा बाहर कचरा डालने पर	5000 रूपये प्रतिदिन	3000 रूपये प्रतिदिन	2000 रूपये प्रतिदिन
20.	आम रास्ता, सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस–मछली पकाने व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	3000 रूपये प्रतिदिन	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन
22.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5000 रूपये प्रतिदिन।	3000 रूपये प्रतिदिन।	2000 रूपये प्रतिदिन।
24.	आमरास्ता, सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1000 रूपये प्रतिदिन	500 रूपये प्रतिदिन	250 रूपये प्रतिदिन
25.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्ता, सडक व फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	3000 रूपयें प्रतिदिन	2000 रूपये प्रतिदिन	1000 रूपये प्रतिदिन
26	**कन्शट्रक्शन एवं डिमोलिश वेस्ट को पृथक से इक्ठठा नही करने पर**			
	(i) घरेलू उत्पादको से	500 रुपये प्रति डिफाल्ट	300 रुपये प्रति डिफाल्ट	200 रुपये प्रति डिफाल्ट
	(ii) अघरेलू उत्पादको से	5000 रुपये प्रति डिफाल्ट	3000 रुपये प्रति डिफाल्ट	2000 रुपये प्रति डिफाल्ट
27.	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(6) की अनुपालना नही किये जाने पर**			
	(i) रेजिडेन्स वेलफेयर ऐशोसियेशन	10000 रुपये प्रतिमाह	7500 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) मार्केट ऐशोसियेशन	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह
28.	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(7) की अनुपालना नही किये जाने पर**			
	(i) Gated Community	10000 रुपये प्रतिमाह	7500 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) Gated Institution	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह
29	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(8) की अनुपालना नही किये जाने पर			
	(i) होटल	50000 रुपये	30000 रुपये	20000 रुपये

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

		प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह
	(ii) रेस्टोरेन्ट	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह
30.	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 17(2) की अनुपालना सेनेटरी नेपकीन व डायपर्स के निर्माता/ब्रान्डधारी द्वारा अवहेलना करने पर**			
	(i) डिस्पोजेबल मेटेरियल को वापस ग्रहण करने की व्यवस्था नही करने पर	50000 रुपये प्रतिमाह	30000 रुपये प्रतिमाह	20000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) निर्माता/ब्रान्डधारी अपने उत्पादो के साथ प्रत्येक नेपकीन या डाइपर्स के निस्तारण के लिए एक पाउच/रेपर उपलब्ध नही कराने पर	50000 रुपये प्रतिमाह	30000 रुपये प्रतिमाह	20000 रुपये प्रतिमाह
31.	संस्थान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान, ऑफिस, होटल, दुकान, रेस्टोरेन्ट, मिठाई दुकान, ढाबा, मन्दिर, ओधोगिक प्रतिष्ठान, मेरिज हॉल, मेरिज गार्डन, बेम्वेट हॉल इत्यादि द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	5000 रूपये प्रतिदिन।	3000 रूपये प्रतिदिन।	2000 रूपये प्रतिदिन।
32.	व्यक्तियों/घरो तथा दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	1000 रूपये प्रतिदिन।	750 रूपये प्रतिदिन।	500 रूपये प्रतिदिन।
33.	प्लास्टिक कचरा जलाने पर	500 रूपये प्रतिदिन	200 रूपये प्रतिदिन	100 रूपये प्रतिदिन
34.	प्लास्टिक कैरी बेग को उपयोग करते पाये जाने पर	100 रूपये प्रतिदिन	75 रूपये प्रतिदिन	50 रूपये प्रतिदिन

राज्यपाल की आज्ञा से,

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(ठोस अपशिष्ठ)नियम/डीएलबी/19/26214-26462 दिनाक: 12/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास,आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाऐं, राजस्थान।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान।
8. मुख्य नगर नियोजक,नगर नियोजन विभाग राजस्थान जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त(समस्त), राजस्थान।

10. सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान जयपुर।
11. जिला कलेक्टर(समस्त), राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक, आर यू आई डी पी ।
13. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको
14. निदेशक / अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना राज्य एवं जनहित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः इसे राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने का श्रम करावें साथ ही राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां भी विभाग को उपलब्ध करायी जावें।
15. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषदें एवं नगर पालिकाऐं(समस्त), राजस्थान।
16. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
17. क्षेत्रीय उप निदेशक(समस्त), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
18. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Dw 1917-712
06/04/2019

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

- 4 APR 2019

(21)

क्रमांक प.3(77)नविवि / 3 / 2009पार्ट–IV

जयपुर, दिनांक :– 04 अप्रैल 2019

आदेश

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ठ के पृथककरण, भण्डारण, विकेन्द्रीकरण एवं प्रसंस्करण की सुनिश्चितता किये जाने हेतु टाउनशिप पॉलिसी–2010 के निम्न प्रावधानों को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त संशोधित / प्रतिस्थापित / अतिरिक्त जोडा जाता है:–

CE

टाउनशिप पॉलिसी–2010(10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजना हेतु)

"7.02(f) ***Solid Waste Management*** *The developer must submit a detailed plan for the disposal of Solid Waste Management and ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of Solid Waste is demarcated in Township / Mini Township for Group Housing or Commercial, Institutional or any other non - residential complex. The Developer must ensure its implementation till the Scheme is handed over to the ULB / Resident Welfare Body or any other entity."*

टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजना हेतु)

"5.10 ***Solid Waste Management*** *The developer must submit a detailed plan for the disposal of Solid Waste Management and ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of Solid Waste is demarcated in Township / Mini Township for Group Housing or Commercial, Institutional or any other non - residential complex. The Developer must ensure its implementation till the Scheme is handed over to the ULB / Resident Welfare Body or any other entity."*

XEn (SBM)

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

8/4/19

आज्ञा से,

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

1W-1917965
04.04.19

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

4 APR 2019

क्रमांक प.18(13)नविवि / जयपुर / 2016 जयपुर, दिनांक :- 04 अप्रैल 2019

आदेश

केन्द सरकार द्वारा जारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ठ के पृथककरण, भण्डारण, विक्रेन्दीकरण एवं प्रसंस्करण की सुनिश्चितता किये जाने हेतु एकीकृत भवन विनियम–2017 के निम्न प्रावधानों को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त संशोधित / प्रतिस्थापित किया जाता है:–

विनियम 8.11.4:– सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल:–

i. *ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाइयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। भूतल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेन्दित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।*

ii. *200 से अधिक आवास वाले या 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, संस्थानिक या अन्य गैर–आवासीय परिसर (स्वतंत्र आवासीय को छोड़कर) में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 500 वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। भूतल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विक्रेन्दित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।*

iii. *ठोस कचरे का निस्तारण स्थानीय नगरीय निकाय के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।"*

CE

EE (SBM)

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

10/4/19

आज्ञा से,

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायो को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिद, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम